पन्ना कलेक्टर ने लीज धारक पर सवा अरब की शास्ति अधिरोपित की

आवेदक अवधेश कुमार ने की अवैध उत्खनन की शिकायत, जांच में अधिकारियों ने सही पाया

नवभारत न्यूज

पन्ना 26 सितंबर. अवैध उत्खनन के मामले में लीज धारक पर पन्ना कलेक्टर ने सवा अरब की शास्ति अधिरोपित की है.

मामले में कलेक्टर सुरेश कुमार ने गुनौर तहसील के बिलघाड़ी स्थित मेसर्स डायमंड स्टोन क्रेशर के प्रोपराइटर पर 25 सितम्बर को कलेक्टर न्यायालय से यह कारवाही प्रस्तावित की। कलेक्टर न्यायालय में अवधेश कुमार त्रिवेदी उर्फ खुन्ना महाराज ने आवेदक अवैध उत्खनन व रॉयल्टी चोरी का आवेदन प्रस्तुत किया.आवेदन के आधार पर उप संचालक खनिज प्रशासन जिला पन्ना एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुनौर के माध्यम से विस्तृत जांच प्रतिवेदन के उपरांत नियम विरूद्ध तरीके से गिट्टी के अवैध उत्खनन पर यह निर्णय पारित किया गया है। इसके साथ ही उप संचालक खनिज प्रशासन पन्ना को अनावेदक से अधिरोपित शास्ति की राशि नियमानुसार वसूल कर शासकीय कोष में जमा कराने तथा बैंक चालान की मूल प्रति न्यायालय में प्रस्तुत कराने के संबंध में निर्देशित किया है। आवेदक द्वारा आवेदन के माध्यम से अवगत कराया गया था कि पप्पू उर्फ श्रीकांत दीक्षित द्वारा गुनौर में गिट्टी क्रेशर के लिए पत्थर निकालने का कार्य स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खुदाई कर किया जा रहा है। इससे करोड़ों की रॉयल्टी चोरी हो रही है। कलेक्टर न्यायालय ने प्रतिवादी को नोटिस जारी कर उप संचालक खनिज प्रशासन से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन उपरांत गत 20 अगस्त को म.प्र. खनिज अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण नियम 2022 की धारा 18(2) के उल्लंघन पर कारण बताओ नोटिस जारी कर प्रकरण में जवाब के लिए एक सितम्बर की पेशी तिथि नियत की गई थी। अनावेदक के अधिवक्ता नवीन शर्मा द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर दस्तावेज व प्रतिवेदन की प्रति प्रदान करने तथा जवाब के लिए समय चाहे जाने पर सुनवाई तिथि 8 सितम्बर नियत की गई, लेकिन पुनः जवाब के लिए समय चाहा गया। 15 सितम्बर को पुनः सुनवाई तिथि में अनावेदक अधिवक्ता नवीन शर्मा ने इस प्रकरण को उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करने और दायर पिटीशन के निराकरण तक कार्यवाही रोकी जाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन 20 अगस्त को जारी नोटिस के संबंध में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। सुनवाई तिथि 16 सितम्बर को अनावेदक की ओर से प्रस्तुत कुल चार आवेदनों का स्पीकिंग आदेश पारित कर संबंधित अधिवक्ता की उपस्थिति में निराकरण किया गया। प्रतिवादी पक्ष लगातार समय मांगता रहा और उसने अपनी ओर से कोई जबाव प्रस्तुत नही किया अंत: 18 सितम्बर की सुनवाई में अधिवक्ता रेवती रमण दीक्षित द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर जवाब के लिए पुनः समय चाहा गया।

हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

इस प्रकरण में यह भी पाया गया कि अनावेदक ने उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट पिटीशन क्रमांक 36212/2025 प्रस्तुत कर कलेक्टर पन्ना के न्यायालय के अभिलेख को तलब किए जाने, कलेक्टर पन्ना के विरूद्ध कार्यवाही तथा स्थानांतरण किए जाने, अनावेदक के विरूद्ध प्रचलित प्रकरणों को अन्य जिले के प्राधिकारी को अंतरित करने तथा अनावेदक के विरूद्ध कोई भी नई जांच प्रारंभ नहीं किए जाने का अनुतोष भी चाहा गया था, लेकिन उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा 17 सितम्बर को उक्त गुणरहित याचिका को खारिज करने की कार्यवाही की गई।

रॉयल्टी 99 हजार की और खुदाई पौने 3 लाख घन मीटर में

अधिवक्ता रेवती रमण दीक्षित के तर्क श्रवण सहित प्रकरण व दस्तावेजों के समग्र अवलोकन तथा शासन साक्षियों के कथनों के आधार पर यह पाया गया कि पूर्व की निरस्त लीज की बकाया राशि जमा करने का कोई प्रमाण प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही गिट्टी खनन के सर्वे नंबरों से लगी भूमियों पर अनावेदक के पुत्र के नाम से भण्डारण की लीज स्वीकृत कराई गई। अनावेदक द्वारा मात्र 99 हजार 300 घनमीटर की रायल्टी जमा कराई गई है, जबकि उत्खनन 2 लाख 72 हजार 298 घन मीटर किया गया है, जिसके तहत दाण्डिक एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति की कुल प्रशमन राशि निर्धारित प्रावधानों के तहत 62 करोड़ 27 लाख 92 हजार 800 रूपए बनती है। निर्धारित प्रशमन राशि जमा नहीं करने पर दोगुनी शास्ति राशि जमा कराने का आदेश पारित किया गया।

सड़क पर गिरकर घायल हुए पुलिस आरक्षक

उपचार जारी, पुतला फूंकते समय झूमाझटकी के दौरान हुई घटना

नवभारत न्यूज

सतना 26 सितंबर. शहर के धवारी चौराहे पर एकत्रित कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं द्वारा राज्य सरकार के मंत्री के पुतला दहन करने के दौरान पुलिस का एक आरक्षक बुरी तरह चोटिल हो गए. पुतला दहन करते हुए शुरु हुई झूमाघटकी के चलते आरक्षक सड़क पर गिर गए. आरक्षक का उपचार जिला चिकित्सालय के आईसीयू में जारी है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य शासन में नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री के पुतला दहन कार्यक्रम को लेकर शहर के कांग्रेसी कार्यकर्त्ता शुक्रवार की शाम धवारी चौराहे पर एकत्रित हुए. इसी कड़ह में कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं ने एकत्रित होकर मंत्री के विरुद्ध नारेबाजी शुरु कर दी. जिसके कुछ समय बाद शाम के लगभग 7 बजे कार्यकर्त्ताओं द्वारा मंत्री का पुतला दहन किया जाने लगा. वहीं कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस पहले से ही

तैयार खड़ी थी. एसडीएम सिटी राहुल सिलाड़िया के साथ कोतवाली, सिविल लाइन और कोलगवां थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद थे. जैसे ही पुतला दहन किया जाने लगा वैसे वाटर कैनन के जरिए पुतले पर पानी की बौछार छोड़ दी गई. इसी दौरान वहां पर मौजूद कुछ पुलिसकर्मियों ने पुतले को छुड़ाने का प्रयास किया. जिसके चलते कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं और पुलिस के बीच झूमाझटकी होने लगी. झूमाझटकी के बीच कोलगवां थाने में तैनात आरक्षक रावेंद्र मिश्रा अचानरक असंतुलित होकर सड़क पर गिर गए. सिर पर चोट आने के कारण वे लहलुहान हो गए. जिसे देखते हुए उन्हें फौरन ही उपचार के लिए जिला अस्पताल ली जाया गया. जहां पर उन्हें आईसीयू में भर्ती कर उपचार शुरु हुआ. वहीं घटना की जानकारी मिलने पर सीएसपी डी पी सिंह और तीनों थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचगए.

एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

पुलिस आरक्षक के घायल होने के बावजूद भी जब कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओं ने पुतला दहन करने का प्रयास किया तो एक बार फिर से वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए उसे भिगो दिया गया. जिसके चलते कांग्रेसी कार्यकर्त्ता पुतला दहन नहीं कर पाए. लिहाजा नारेबाजी करने के बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया. जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया.

अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरोह पर बहरी पुलिस का प्रहार

83 लाख की अवैध शराब समेत 1.12 करोड़ का मशरुका जब्त, झारखंड सप्लाई से पहले ही धर दबोची गई शराब की बड़ी खेप

नवभारत न्यूज

सीधी, 26 सितम्बर. अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरोह पर बहरी पुलिस ने प्रहार करते हुए झारखंड सप्लाई से पहले ही शराब की बड़ी खेप धर दबोची।

पुलिस ने लगभग 83 लाख की अवैध शराब समेत 1.12 करोड़ का मशरुका जब्त किया।नवागत पुलिस अधीक्षक सीधी संतोष कोरी के पदभार ग्रहण करने के साथ ही जिले में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध सतत कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना बहरी पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह पर बड़ी कार्यवाही करते हुए

करोड़ों की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार दिनांक 25 सितंबर 2025 को थाना प्रभारी बहरी निरीक्षक राजेश पाण्डेय को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कंटेनर क्रमांक सीजी-04-पीजे-2105 से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब झारखंड ले जाई जा रही है। सूचना पर थाना प्रभारी बहरी निरीक्षक राजेश पाण्डेय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एनएच-39 पाठक ढाबा के पास घेराबंदी की।पुलिस को देखकर चालक ने भागने का प्रयास किया, किंतु सतर्कता से दबोच लिया गया। कंटेनर की तलाशी लेने पर कुल 690 पेटी (16,140 बोतल / लगभग 6124 लीटर) अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 82 लाख 80 हजार रुपये आंकी गई।

बरामद शराब में प्रमुख रूप से मैकडावल नं. 1 व्हिस्की (350 एमएल व 180 एमएल पैकिंग), इंपीरियल ब्लू व्हिस्की (180 एमएल, 350 एमएल व 750 एमएल पैकिंग) शामिल हैं।वाहन कंटेनर कीमत 30 लाख एवं मोबाइल कीमत 10 हजार सहित कुल जब्ती लगभग 1 करोड़ 12 लाख 90 हजार रुपये की गई है। आरोपी ओम प्रकाश विश्नोई निवासी कोटड़ा, जिला जालौर ,राजस्थान की गिरफ्तारी की गई।आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस ने की पुरस्कार की घोषणा

नवागत पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी ने अवैध मादक पदार्थों पर रोक लगाने हेतु लगातार अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसी तारतम्य में यह कार्रवाई की गई, जो जिले की अब तक की सबसे बड़ी जब्ती में से एक है।पुलिस अधीक्षक द्वारा इस कार्रवाई में शामिल संपूर्ण टीम की प्रशंसा करते हुए उनके उत्साहवर्धन हेतु उचित पुरस्कार की घोषणा भी की गई है।

पुलिस टीम का योगदान

इस कार्यवाही में थाना प्रभारी बहरी निरीक्षक राजेश पाण्डेय, उप निरीक्षक एसएल वर्मा, सउनि जेएन श्रीवास्तव, प्रआर रामसुन्दर साकेत, आरक्षक प्रभात तिवारी, अवधेश कुशवाहा सहित पूरी टीम का सराहनीय योगदान रहा।

दिनदहाड़े घर के अंदर महिला की हत्या, मौके पर पहुंची पुलिस

दोपहर घर में अकेले थी महिला, विश्वविद्यालय थाने का मामला

नवभारत न्यूज

रीवा, 26 सितम्बर, शहर के विश्वविद्यलय थाना अन्तर्गत इटौरा दयालु नगर में शुक्रवार की दोपहर एक महिला की घर के अंदर हत्या कर दी गई. दोपहर जब स्कूल से बच्चे घर पहुंचे तब इसकी जानकारी हुई.

मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला का शव पीएम के लिये अस्पताल भिजवाया है. वही अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे है. हत्या चोरी के इरादे से की गई है या फिर अन्य कारण है, फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. जिस समय हत्या की वारदात हुई उस समय महिला घर में अकेले थी और बच्चे स्कूल गये थे. पुलिस के मुताबिक मृतिका नेहा सिंह पति रावेन्द्र सिंह घर में दो बच्चो के साथ रहती थी, पति सीधी में एक शराब दुकान पर कैशियर है. घर में बच्चो के साथ मृतिका रहती थी. शुक्रवार की दोपहर दोनो बच्चे स्कूल चले गए और 10.30 बजे से लेकर 2.40 बजे के बीच महिला अकेले थी और इसी दौरान अज्ञात आरोपी ने धारदार हथियार से सिर पर हमला कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया.

जब स्कूल से बच्चे लौटे तब हत्या की जानकारी हुई. दोपहर 03 बजे विश्वविद्यालय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की और पति को सीधे से बुलाया गया. थाना प्रभारी हितेन्द्रनाथ शर्मा ने बताया कि दोपहर जब महिला अकेली थी उस समय वारदात हुई है. हत्या का कारण अभी अज्ञात है, पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे है. कुछ सुराग पुलिस के हाथ लगे है जल्द ही अंधी हत्या का खुलासा किया जायेगा.

मैहर जिले में 30 महाअष्टमी को रहेगा स्थानीय अवकाश

सतना 26 सितंबर. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मैहर रानी बाटड ने वर्ष 2025 के लिए तीन स्थानीय अवकाश घोषित किए गये थे। जारी आदेश के अनुसार 30 सितंबर मंगलवार को दशहरा (महा अष्टमी) तथा 23 अक्टूबर गुरूवार को भाईदूज को स्थानीय अवकाश रहेगा। कोषालय तथा बैंकों पर यह अवकाश लागू नहीं होंगे।

नानी के घर घूमने आई बालिका की तालाब में डूबने से मौत

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 26 सितम्बर। सरई थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरी में नानी के घर घूमने आई एक 13 वर्षीय बालिका तालाब में नहा रहा थी कि जहां गहरे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार माड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम छतौली निवासी शिवानी गोस्वामी पिता रवि गोस्वामी उम्र 13 वर्ष अपने नानी के घर सरई थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरी आई हुई थी कि आज दोपहर के वक्त बच्चों के साथ गांव

के ही एक तालाब में नहा रही थी कि अचानक पैर फिसलने से गहरे पानी में समा गई। आनन-फानन में वहां पर मौजूद लोगों के द्वारा शिवानी को बाहर निकाला गया और ऑटो चालक मोहित यादव ने तत्काल बालिका को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरई पहुचांया। जहां चिकित्सको ने शिवानी को मृत घोषित कर दिया था।

घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके से पहुंच शव को अपने कब्जे में लेते हुये मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है।

अपने नवीन भवन में संचालित होगा जिला न्यायालय

नवभारत न्यूज

रीवा, 26 सितम्बर, जिला न्यायालय जल्द ही अपने बहुमंजिला नवीन भवन में संचालित होगा. जिसको लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. आधुनिक नवीन न्यायालय भवन 95.93 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है. जिसका लोकार्पण 4 मई को किया गया था.

जिला न्यायालय का नवीन भवन शासकीय इंजीनियरिंग कालेज के सामने स्थित है. पुराने भवन से समस्त आवश्यक सामग्री नवीन भवन में शिफ्ट कर दी गई है. इस संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश मोहन प्रधान ने बताया कि जिला न्यायालय के तहत समस्त न्यायालयों का कार्य संचालन 29 सितम्बर से नवीन न्यायालय भवन में किया जाएगा. न्यायालयों में विचाराधीन व्यावहारिक एवं दाण्डिक प्रकरणों से संबंधित पक्षकार, गवाह, अधिवक्तागण एवं अन्य संबंधित व्यक्ति 29 सितम्बर से नवीन न्यायालय भवन में उपस्थित रहेंगे. अधिवक्ता ब्लाक में 294 चेम्बर तैयार किये गये है और परिसर में 750 अधिवक्ताओं के लिये 36 बैठक हाल, पक्षकारो के लिये विश्राम व्यवस्था बनाई गई है.

> 29 सितम्बर से होगा संचालन, अधिवक्ताओं के लिये बनाए गए 294 चेम्बर

`दूरसंचार सलाहकार समिति में तीन सदस्य नियुक्त

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 26 सितम्बर। सीधी-सिंगरौली सांसद डॉ. राजेश मिश्रा की अनुशंसा पर केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सिंगरौली-सीधी और ब्योहारी से आठ लोगों को दूरसंचार सलाहकार समिति का सदस्य बनाया है।

दूरसंचार मंत्रालय के अधीन भारत संचार निगम लिमिटेड के दूरसंचार सेवा को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए केंद्रीय दूर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीधी-सिंगरौली सांसद डॉ. राजेश मिश्रा से संसदीय क्षेत्र से समिति मे नामित करने के लिये कुछ नामों की अनुशंसा मांगी थी, जिसके अनुसार सांसद ने सिंगरौली क्षेत्र से सुरेश गिरि, ज्ञान प्रकाश गुप्ता का तथा शारदा शर्मा का और ब्योहारी से अंकित शर्मा के नाम की अनुशंसा की थी।

कंडक्टर के साथ लाठी-डंडे से मारपीट, अस्पताल में भर्ती

अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज

नवभारत न्यूज

सीधी, 26 सितम्बर. जिले के कुसमी थाना अंतर्गत देवार्थ नौढिया में मिश्रा बस कंडक्टर के साथ अज्ञात व्यक्तियों ने लाठी-डंडा से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुसमी में भर्ती कराया गया।

यहां से घायल को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। मिश्रा बस के घायल कंडक्टर अखिलेश मिश्रा ने बताया कि 25 सितम्बर की शाम करीब 6 बजे बस बेलहा महुआ से देवार्थ नौढिया पहुंची। तभी अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा सड? पर मोटरसाइकिल खड़ी करके बस को रोंका गया। बस के रुकते ही आरोपियों द्वारा उन्हें बस से खींचकर लाठी-डड्डों से मारपीट करना शुरू कर दिया। सिर से खून बहना शुरू हो गया और शरीर के अन्य भागों में भी गहरी चोंटे आई। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। आरोपियों के जाने के पश्चात घटना की तत्काल सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर कुसमी पुलिस पहुंची और घायल कंडक्टर को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। यहां घायल कंडक्टर अखिलेश मिश्रा का इलाज कुसमी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। मारपीट में कंडक्टर के सिर, पैर एवं पीठ पर

काफी चोटे आई हैं। मामले में ड्राइवर ने कुसमी थाने में लिखित सूचना दी, जिस पर कुसमी पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए धारा 296, 115(2), 351(3)] 127(1), 324(4)3(5) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है।

इनका कहना है

ड्राइवर की लिखित रिपोर्ट पर कुसमी थाना में आरोपियों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया गया है। घायल कंडक्टर को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। मामले में कई धाराओं पर कार्यवाही की गई है और जरूरत पड़ेगी तो धाराएं बढाई भी जाएगी और जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाएगा।

अरुणा द्विवेदी, थाना प्रभारी कुसमी

अज्ञात कार सवारों ने युवक से 26 हजार रुपये उड़ाए

शहर के गांधी चौक की बताई जा रही घटना

नवभारत न्यूज

सीधी, 26 सितम्बर. शहर में दिनदहाड़े जेबकटी की बड़ी वारदात सामने आई है। ग्राम भगवार (कुसमी) निवासी राजेश कुमार गुप्ता के साथ चार अज्ञात व्यक्तियों ने धोखाधड़ी कर करीब 26 हजार रुपये गायब कर दिए।

जानकारी के अनुसार 25 सितंबर को पीड़ति राजेश कुमार सीधी बाजार किराना एवं जनरल स्टोर का सामान खरीदने आए थे। गांधी चौराहा के पास अचानक एक सफेद अल्टो कार में बैठे चार लोगों ने उन्हें जबरन गाड़ी में बैठा लिया। इसके बाद कॉलेज रोड स्थित आरा मशीन के पास गाड़ी रोकी गई। इसी दौरान चालाकी से राजेश कुमार की जेब में रखे लगभग 26 हजार रुपये निकाल लिए गए। पीड़ति को घटना की भनक तब लगी जब उन्होंने दुकानदार अनिल सिंधी को पैसे

देने चाहे, लेकिन जेब से रुपए गायब निकले। समीप लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद होने की संभावना जताई जा रही है। पीड़ति ने मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक सीधी को लिखित आवेदन देकर की है तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आवेदन की प्रतिलिपि थाना कोतवाली सीधी को भी अग्रेषित की गई है।स्थानीय लोगों का कहना है कि भीड़-भाड़ वाले इलाके में इस तरह की घटना होना सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है।

भूत ने बुलाया था इसलिए जंगल में आ गई थी!

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 26 सितम्बर। दो दिन पूर्व नेहरू शताब्दी चिकित्सालय जयंत परिसर से एक मानसिक रूप से कमजोर 43 वर्षीय महिला लापता हो गई थी। पुलिस टीम ने आज महिला को नेहरू अस्पताल के पीछे से दस्तयाब करने में सफल रही है। यह सफलता विंध्यनगर थाना प्रभारी निरीक्षक अर्चना द्विवेदी के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी जयंत सुधाकर सिंह परिहार

एवं अलग-अलग पुलिस टीम को मिली है।

गौरतलब है कि ग्राम बनौली निवासी बिरेन्द्र कुमार जायसवाल ने जयंत चौकी में तहरीं दिया था कि 23 सितम्बर को पत्नी नववरण जायसवाल उम्र 43 वर्ष को उपचार कराने के लिए नेहरू अस्पताल आया था। ओपीडी में पर्ची कटाई जा रही थी तभी मानसिक रूप से विक्षिप्त नववरण लापता हो गई। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया। वहीं एसपी मनीष खत्री ने गुमशुदगी की दस्तयाबी के लिए 10 हजार का ईनाम भी घोषित किया। वहीं यह मामला काफी तूल पकड़ने लगा और तत्काल पॉच सदस्यीय टीम भी अलग-अलग स्थानों में रवाना हो कर छानबीन करने लगी। साथ ही आसपास के सीसीटीव्ही कैमरे भी खंगालने जाने लगे। फिर भी कोई सुराग नही मिला। सीमावर्ती राज्य यूपी समेत, बस पड़ाव, रेलवे स्टेशन, टेम्पो स्टैण्ड में पुलिस तलाश करती रही। अंतत: डॉग स्क्वॉर्ड का सहारा लिया गया। डॉग स्क्वॉर्ड ने नेहरू अस्पताल के पीछे जंगलों के तरफ ले जाता रहा। जिसपर पुलिस टीमों ने भी कॉम्बिंग सर्च करते हुये जंगल से महिला को दस्तयाब करने में सफल हो गई।

अधेड़ व्यक्ति पर चाकू से आरोपी ने किया जानलेवा हमला

जियावन पुलिस ने 24 घंटे के भीतर जंगल से आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा

नवभारत न्यूज

जियावन 26 सितम्बर। जियावान थाना क्षेत्र अंतर्गत बूढ़ाडाड़ गांव के भाट जंगल में पुरानी रंजिश को लेकर एक अधेड़ पर चाकू से हमला किया गया। जहां शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक को जंगलों से महज 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। हमले में अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका इलाज जारी है।

जियावान थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि भाट जंगल में शिवमोहन सिह गोंड़ निवासी बढ़नई के साथ अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चाकू मारने की

शिकायत की गई थी। जहां अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जगह-जगह दबिश दी गई। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि अधेड़ पर जानलेवा हमला करने वाला आरोपी उसी के गांव का है। आरोपी बूधन बैगा उर्फ बुधना बैगा निवासी बूढ़ाडांड भाठ टोला के एवं आहत का पूर्व में जंगल से लकड़ी काटने पर विवाद हुआ था। जहां आरोपी ने गुस्सा में आकर जान से मरने की नियत से चाकू से हमला कर जंगल में भाग गया। जिसकी घेराबंदी करते हुए गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक ज्ञानेन्द्र सिंह, रामजी त्रिपाठी, तेजबहादूर सिंह. गुलाब सिंह, रमेश चन्दन, आशीष द्विवेदी, अमित कुमार, सदन कुमार, बबलु यादव, दिनेश कुमार, खुम सिंह, सौरभ जायसवाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा.लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा. लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक आशीष श्रोती द्वारा मौजा कोलगवां, इंडस्ट्रियल एरिया, सतना से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , इंडस्ट्रियल एरिया से मुद्रित . संपादक- संजय पयासी* फोन- 250587, फैक्स- 224642 * समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत जिम्मेदार RNI Reg. No. 72181/99